

पत्रक  
(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस. नवलगढ़

कुलदीप पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला शुन्डुनू राजस्थान।	-वनाम-	बोदूराम पुत्र रघुराम जाति जाट निवासी देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला शुन्डुनू वगैरह
किस्म मुकदमा - दावा वावत अं० धारा 88, 53 रा.का. अधि. व धारा 136 एल.आर.एक्ट. स्थाई निषेधाज्ञा, घोषणार्थ, विभाजन व रिकार्ड दुरुस्ती		मु.नं. 107/2020 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------------

17.07.20	आज यह दावा वादी की ओर से वकील श्री रामाकांत गौड़ द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 11.08.2020 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	1790 21/7/20
----------	---	-----------------

11/8/20

पत्रावली पेश हुई। एतत् धर्मभाषक  
सभ द्वारा न्यायालय दायें स्थानित रख  
गया है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही  
दिनांक 11/08/20 को पेश हो।

14/8/20

पत्रावली वादी द्वारा प्राथमिक मिलान का पेश हो  
पर आज पेशी पर तलबी की गई। वादी द्वारा  
एक प्राथमिक पेश किया कि वादी एक ठका को  
आगे नहीं चलाना चाहता है ना ही कोई  
कार्रवाई चाहता है प्रकरण का निष्काशन का  
निर्देश किया गया है प्राथमिक का अवलोकन  
किया गया। वादी द्वारा प्राथमिक स्वीकार किया  
जाकर प्रकरण डली प्रथम पर खारिज। शेष  
क्रिया अन्तर्गत प्रवातली कैसल कुमार होकर  
दस्तावेजात से ठका को तपा बाद गठमील  
अन्तर्गत दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़

प्रतिवादी नं-2  
क्रि.नं. 2  
नवलगढ़  
पत्रावली  
कुलदीप  
पत्रावली  
2/8/20  
(21/7/20)